

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठारीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

क्रमांक :- 273 / 2025

संख्या :-

1. पवित्र सिंह पुत्र मोकमसिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी त0 टिब्बी ।
2. ईश्वर सिंह पुत्र नरोतम सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी त0 टिब्बी ।

वादीगण

बनाम

- 1 सन्तो पत्नी मिठूसिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी ।
- 2 मोकमसिंह पुत्र मिठूसिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी ।
- 3 नरोतम सिंह पुत्र मिठूसिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी ।
- 4 खुशप्रीत कौर पत्नी केवलसिंह जाति जटसिख निवासी चट्टा त0 डबवाली जिला सिरसा ।
- 5 अनमोल सिंह पुत्र केवलसिंह जाति जटसिख निवासी चट्टा त0 डबवाली जिला सिरसा ।
- 6 प्रभजोत कौर पुत्री केवलसिंह जाति जटसिख निवासी चट्टा त0 डबवाली जिला सिरसा ।
- 7 जशनदीप कौर पुत्री नरोतमसिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
- 8 चरणजीत कौर पत्नी गुरलाभ सिंह पुत्री मिठूसिंह जाति जटसिख निवासी रामपुरा ढाणी जिला सिरसा ।
- 9 परमजीत कौर पत्नी कुलवीर सिंह पुत्री मिठूसिंह जाति जटसिख निवासी धोआ पंजाब ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी महेश कुमार गौड़ व सुनील शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नं 7 एस. आर डबल्यू के खाता सं0 97/95 में अंकित कुल 1.012 है0 आराजी में प्रतिवादीया सं0 1, 4ता 6 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा, चकनं0 7 एस. आर डबल्यू के खाता सं0 98/96 में अंकित कुल 3.0990 है0 नाली प्रथम मय गै०मु० आराजी में प्रतिवादीगण सं0 1, 4 ता 6 प्रत्येक का 1975 /24792 हिस्सा, चकनं0 4 आर. के. खाता सं0 32/19 में कुल अंकित 9.9920 है0 नहरी मय गै०मु० आराजी में प्रतिवादीगण सं0 1, 4 ता 6 प्रत्येक का 499/39968 हिस्सा आराजी में प्रतिवादी सं0 1, 4 ता 6 का नाम कलमजन कर उनके स्थान पर वादीगण को बहिस्सा बराबर व चकनं0 6 जीजीआर के खाता सं0 139/66 में अंकित कुल 3.6810 है0 आराजी में प्रतिवादीगण सं0 1, 4 व 6 प्रत्येक का 46/3681 हिस्सा, दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त आराजी में प्रतिवादीगण सं0 1, 4 व 6 का नाम कलमजन किया जाकर उनके स्थान पर वादीगण को बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व शेष हिस्से यथावत् रखते हुए इसी अनुसार यदि कृषि भूमि बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 19/9/22 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।



(सत्यनारायण)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)